न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रविन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या – 56/2016

प्रार्थीगण –

1. हडमानराम पुत्र रामनारायण

जाति जाट निवासी अडबड हाल रातंगा तहसील जायल

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. रामनारायण पुत्र पन्नाराम
2. बस्तीराम पुत्र पुनाराम
3. धर्माराम पुत्र पन्नाराम
4. कालूराम पुत्र रामनारायण
5. विक्रम पुत्र रामनारायण
6. महेन्द्र पुत्र रामनारायण

तमाम जाति जाट निवासीगण अडबड तहसील जायल

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
8. उप पंजीयक जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित : 1. श्री नरेन्द्र सिंह राठोड अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री हनुमानराम मण्डा व शैलेन्द्र सिह कालवी अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण।

: : – निर्णय – : : **दिनांक:** 22/6/2022

1– प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. पुनाराम के वारिसान है। जिनका सजरा पत्रावली मे वर्णित है । प्रार्थी व अप्रार्थी के बडेर की भूमि मौजा अडबड के खेत ख.न. 331 रकबा 20.03 बीघा, ख.न. 711/841 रकबा 3 बीघा, ख.न. 712/844 रकबा 5 बीघा, ख.न. 329 रकबा 45.09 बीघा, ख.न. 325 रकबा 11.15 बीघा, ख.न. 330 रकबा 11.16 बीघा, ख.न. 347 रकबा 22.14 बीघा, ख.न. 503 रकबा 9.04 बीघा, ख.न. 515 रकबा 9.11 बीघा, ख.न. 676 रकबा 5.10 बीघा, ख.न. 711/851 रकबा 8 बीघा, ख.न. 711/839 रकबा 3.17 बीघा, ख.न. 712/843 रकबा 4.11 बीघा, ख.न. 486 रकबा 12.02 बीघा, तथा मौजा गेलोली के खेत ख.न. 24/606 रकबा 12.10 बीघा, ख.न. 704/23 रकबा 39.09 बीघा, ख.न. 705/23 रकबा 4 बीघा, व ख.न. 2 रकबा 19 बीघा आये हुये है।

प्रार्थी के दादा पुनाराम ने 12–13 साल पूर्व अपनी पुश्तैनी भूमि का अपने स्वयं एवं अपने पुत्रों के मध्य विभाजन कर अलग–अलग खातेदारी दर्ज करवाई। जिसके तहत ख.न. 325, 330, 676 की भूमिया अपनी खातेदारी में रखते हुये ख.न. 347, 711/839, 712/843, 329 के रकबा मे 1/2 भाग तथा मौजा गैलोली के खेत ख.न. 705/23, 64/606 के पुरे खेत तथा स्वयं पुनाराम, उनकी पत्नि व प्रार्थी की दादी

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पार्वती उर्फ पारी की खातेदारी भूमि मे से 1/3 हिस्सा रखते हुये कुल 89.08 बीघा बीघा भूमि प्रार्थी एव प्रार्थी के पिता रामनारायण व तीनों भाईयों कालुराम, विक्रम व महेन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त मे रखी जिस पर आज दिन भी प्रार्थी व उसके पिता व भाई काबिज रहकर काश्त करसण कर रहे है।

प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी के जन्म के बाद एक अन्य स्त्री को पत्नि के रूप मे रख लिया जिनके दांपत्य जीवन से तीन संतान अप्रार्थी सं. 4 ता 6 हुये। प्रार्थी के पिता ने पुश्तैनी व परिवार की सयुंक्त परिवार की कमाई से खरीदशुदा खेताय मे से प्रार्थी को बेदखल कर सम्पति से वंचित करना चाहते है। प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी की दादी से उत्तराधिकार मे प्राप्त खेताय 331, 711/841, 712/844 मौजा अडबड धर्माराम को दुर्भीसंधि करने बैचान कर दिया है साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थी के सयुक्त हक बंट के खेत ख.न. 329 मे से 1/2 भाग भी अंतरण कर दिया है। तथा ख.न. 330, 325, 676 जो कि प्रार्थी के दादा पुनाराम से उतराधिकार मे प्राप्त खेताय को धर्माराम ने अवैध रूप से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा लिये हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उसके हक बंट कब्जा काश्त से वंचित करने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थी मौजा अडबड के खेत ख.न. 330, 352, 676, 331, 711/841, 712/844, 329 के रकबा मे से 1/2 भाग, 711/839, 712/843, तथा मौजा गैलोली के खेत ख.न. 705/23, 24/606 कुल रकबा 89.004 बीघा भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण कालूराम, महेन्द्र व विकम के साथ सयुंक्तरूप से काबिज रहकर काश्त करसण कर रहा है परन्तु खातेदारी प्रार्थी के नाम नही होने से अप्रार्थी सं. 1 से 6 के द्वारा प्रार्थी को उसके हक अधिकार व स्वामित्व से वचित करने की धमकिया देने से प्रार्थी के हक अधिकारों का हनन होने की सम्भावना होने से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है। तथा अप्रार्थीगण यदि ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी कीमतन आंकलन नहीं किया जा सकता।

अतः प्रार्थी के पुश्तैनी व सामिल परिवार रहते हुये खरीदशुदा खेताय मौजा अडबड के खेत ख.न. 331 रकबा 20.03 बीघा, ख.न. 711/841 रकबा 3 बीघा, ख.न. 712/844 रकबा 5 बीघा, ख.न. 329 रकबा 45.09 बीघा, ख.न. 325 रकबा 11.15 बीघा, ख.न. 330 रकबा 11.16 बीघा, ख.न. 347 रकबा 22.14 बीघा, ख.न. 503 रकबा 9.04 बीघा, ख.न. 515 रकबा 9.11 बीघा, ख.न. 676 रकबा 5.10 बीघा, ख.न. 711/851 रकबा 8 बीघा, ख.न. 711/839 रकबा 3.17 बीघा, ख.न. 712/843 रकबा 4.11 बीघा, ख.न. 486 रकबा 12.02 बीघा, तथा मौजा गेलोली के खेत ख.न. 24/606 रकबा 12.10 बीघा, ख.न. 704/23 रकबा 39.09 बीघा, ख.न. 705/23 रकबा 4 बीघा, व ख.न. 2 रकबा 19 बीघा का किसी प्रकार से बैचान/हस्तांतरण को रोकने तथा प्रार्थी को उसके हक बंट कब्जा काश्त व स्वामित्व की भूमियों से बेदखल नहीं करने बाबत साथ राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2— प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा व अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से मूल वाद में वकील श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 4 कालूराम का नोटिस कवलजीत नाम से तामिल होकर प्राप्त हुआ जो बाद सूचना अनुपस्थित रहा। वकील प्रार्थी की ओर से एक

प्रर्थना पत्र बाबत अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाहने पर नाम हटाने बाबत आदेश 1 नियम 10(2) भी पेश किया है।

3– अप्रार्थी सं. 1, 5 व 6 ने वादग्रस्त भूमिया पक्षकारों के बडेर की भूमि होना स्वीकार करते हुये कथन किया कि कुछ भूमिया पक्षकारो की स्वअर्जित खरीदसुदा भूमिया है, जो कुछ ने अलग अलग व कुछ ने सामलाती रूप से खरीद की है । जिससे प्रार्थी का सम्पूर्ण पैरा गतल होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वाद सं. 147/2003 अनवान बस्तीराम बनाम भवंरी वगेराहा मे स्वं. पुनाराम के हक बंट में मौजा अडबड के खेत ख.न. 325, 330, 676 रखा जाना स्वीकार कर कथन किया कि पूनाराम के हकबंट मे रखी गई भूमिया पुनाराम के बांद एक मात्र धर्माराम के बंट मे रहेगी तथा उनके बंट मे होने स्वअर्जित भूमियों की श्रेणी मे होने से धर्माराम के पक्ष मे निष्पादित वसियत के आधार पर धर्माराम के नाम दर्ज की गई। ख.न. 329 रकबा 45.09 बीघा रामनारायण व धर्माराम के द्वारा सयुंक्त रूप से खरीद करने पर रामनारायण ने धर्माराम के हकतर्क कर दिया। प्रार्थी को हक बंट व वंचित करने के तथ्य गलत तथा निराधारा है। ख.न. 331, 711/841, 712/844 जो धर्माराम, बस्तीराम, व रामनारायण की माता की खरीदसुदा भूमि थी जो उसके स्वर्गवास के पश्चात तीनों भाईयों को प्राप्त हुई तथा बस्तीराम ने अपनी पारिवारीक आवश्कताओं की पूर्ती हेतु धर्माराम के पक्ष मे हकतर्क करवाया है जिस पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। इसकी ऐवज प्रार्थी के पिता ने मौजा अडबड के खेत ख.न. 711 व 712 की भूमिया प्रार्थी की माता भवंरी देवी के नाम से खरीदकर के दी जो प्रार्थी की माता के नाम से खातेदारी मे दर्ज है। इन भूमियो पर प्रार्थी का कभी कब्जा काष्त नहीं रहा है जिससे कब्जा के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ग्राम रातंगा मे निवास मे करता है ग्राम अडबड मे नहीं रहता है। ग्राम रातंगा में प्रार्थी के पिता ने 30–35 बीघा प्रार्थी को खरीद कर दी है। उसी समय से प्रार्थी का मुतवादिया भूमि में कभी कब्जा काश्त व हक बंट नहीं रहा है। प्रार्थी ने बिना किसी आधार व अधिकार के दावा पेश किया जो चलने योग्य नहीं हैं। वाद सं. 147/2003 के अनुसार मौजा अडबड के ख.न. 347 व मौजा गेलोली के ख.न. 24/606 व ख.न. 705/23 प्रार्थी के पिता के हक बंट मे रखे गये थे जिसमें ख.न. 24/606 प्रार्थी के पिता का खरीदसुदा खेत है जिस पर प्रार्थी के पिता व उसके पुत्र विक्रम, महेन्द्र व कवलजीत का कब्जा काश्त होने से मामल प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी के हक बंट की भूमि ग्राम रातंगा मे खरीद कर दे देने से इन खेताय में प्रार्थी का को हक हिस्सा नहीं होने तथा भूमि प्रार्थी के पिता की खरीदसुदा होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थी के हक बंट की भूमि खरीद कर प्रार्थी व प्रार्थी का माता दे देने से प्रार्थी का किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें

4– अप्रार्थी सं. 2 व 3 धर्माराम व बस्तीराम ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित सम्पूर्ण भूमिया पुश्तैनी नहीं है। कुछ भूमिया अलग अलग पक्षकारान की खरीदसुदा व स्वअर्जिज भूमिया है। पूर्व मे वाद के जरिये बंटवारा होना स्वीकार होना कथन किया तथा पुनाराम के हक बंट की भूमिया धर्माराम जो कि सबसे छोटा बेटा व प्रार्थी पुनाराम के साथ रहने से पुनाराम द्वारा वसियत करने से धर्माराम के नाम दर्ज हुई है जिसमें प्रार्थी का कोई हक बंट नहीं रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा अपने जवाब में अप्रार्थी सं. 1, 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यो का ही दौहरान कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना

उपखण्ड कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

पत्र मे वर्णित भूमियों में किसी प्रकार का हक बंट नहीं होने तथा कब्जा काश्त नहीं रहने से तथा प्रार्थी का प्रार्थी के अप्रार्थी सं. 1 व 4 ता 6 का मौजा अडबड के खेत ख.न. 347 रकबा 22.14 बीघा, ख.न. 24/606 रकबा 12.10 बीघा तथा मौजा गेलोली के खेत ख.न. 23 रकबा 62.09 बीघा मे से पूर्वी 4 बीघा साबिक ख.न. 705/23 है कि भूमियों भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भी भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। तथा प्रार्थी धर्माराम रव बस्तीराम के नाम दर्ज भूमिया को विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का वाद चलने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5– मुतदाविया खेताय के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि भूमिया पुश्तैनी है जो कि अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब में पुश्तैनी व सामलाती में खरीद करना स्वीकार किया है। प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी व उसकी माता का त्याग कर अन्य स्त्री से दांपत्य जीवन निर्वाह करके उससे पैदा हुये पुत्रो को ही बंट देकर प्रार्थी को बंट नहीं देना चाहता है। मुतदाविया खेताय व भूमि जो कि पुश्तैनी होने से प्रार्थी का हक अधिकार है। अप्रार्थी रामनारायण ने अपने जवाब के पैरा न. 5 में स्वीकार किया है कि भूमि प्रार्थीया की दादी से उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई जिसमे से अप्रार्थी ने बैचान करना स्वीकार किया है। इसी प्रकार स्व. पुना के हक बंट की भूमियां भी अकेले धर्माराम के दर्ज कर दी गई जो कि पुश्तैनी होने से प्रार्थी का हक हिस्सा भी निहित था। पुश्तैनी बंटवाडा न होकर अविभाजित है, जिसका सक्षम न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बंटवाड़ा हो जाने तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक है तथा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थी के पक्ष में, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र वर्णित भूमियां के रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् अप्रार्थीगण को ताफैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी भूमियां पुश्तैनी नहीं है। प्रार्थी अपना हक बंट लेकर ग्राम रांतग मे रह रहा है। अप्रार्थी रामनारायण द्वारा दुसरी शादी करने तथा उससे पैदा पुत्रों का बराबर हिस्सा है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमिया बाबत पूर्व मे बंटवारा होकर विभाजीत हो चुकी है तथा प्रार्थी के पिता का भी अलग बंट होकर खातेदारी मे दर्ज हो गयी है। जिससे शेष भूमियों मे प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही रहा है। स्व. पुनाराम ने अपने हक बंट की भूमि जरिये वसियत धर्माराम के नाम कर दी है । तथा 39 बीघा भूमि प्रार्थी की दादी की खरिदसुदा भूमि है। प्रार्थी की माता के नाम ख.न. 711व 712 की भूमिया रजिस्ट्री करवा दी गई जिससे अब शेष भूमियो प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही रहा है।

6– पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर प्रकरण हाजा में यह प्रतीत होता है कि आराजी भूमियां मे कुछ भूमि पक्षकारान् की पुश्तैनी भूमिया है। पूर्व में हुये बंटवाडा में प्रार्थी के दादा पुना राम के हक बंट की भूमियो जो जरिये वसियत धर्माराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई हैं इसके अतिरिक्त यहा यह भी उल्लेखनिय है कि प्रार्थी की माता के नाम से भूमिया खरीद की दी गई जिसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया है तथा प्रार्थी की दादी द्वारा खरीद की भूमियो प्रार्थी के पिता व उनके भाईयों में उतराधिकार में मिली है जिसमे प्रार्थी के पिता ने अपनी आवश्यकताओं के चलते धर्माराम को हक तर्क करना स्वीकार किया। यहां यह भी प्रश्न है की दादी की सम्पति पुश्तैनी है अथवा नहीं तथा वादग्रस्त

भूमियों पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है अथवा नहीं। उक्त सभी बिन्दू विचारणीय है जिनका निस्तारण वाद में साक्ष्य सबुंत एवं गवाहों तथा दस्तावेजों के जरिये ही हो सकता है। वादपत्र की सुनवाई एक सतत प्रक्रिया के अधीन होती है जिसमे वक्त लगना लाजमी है। वादग्रस्त भूमिया प्रार्थी के बडेर की होना प्रमाणित है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है तथा वाद के अन्तिम निस्तारण तक इन भूमियां का किसी प्रकार का अन्तरण बैचान हस्तांतरण आदि होने तथा राजस्व रिकार्ड में बदलाव होने की आंशका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिससे मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में होना प्रमाणित होता है।

– : : **आदेश** : : –

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी का स्वीकार करते हुये मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा मौजा अडबड के खेत ख.न. 331 रकबा 20.03 बीघा, ख.न. 711/841 रकबा 3 बीघा, ख.न. 712/844 रकबा 5 बीघा, ख.न. 329 रकबा 45.09 बीघा, ख.न. 325 रकबा 11.15 बीघा, ख.न. 330 रकबा 11.16 बीघा, ख.न. 347 रकबा 22.14 बीघा, ख.न. 503 रकबा 9.04 बीघा, ख.न. 515 रकबा 9.11 बीघा, ख.न. 676 रकबा 5.10 बीघा, ख.न. 711/851 रकबा 8 बीघा, ख.न. 711/839 रकबा 3. 17 बीघा, ख.न. 712/843 रकबा 4.11 बीघा, ख.न. 486 रकबा 12.02 बीघा, तथा मौजा गेलोली के खेत ख. न. 24/606 रकबा 12.10 बीघा, ख.न. 704/23 रकबा 39.09 बीघा, ख.न. 705/23 रकबा 4 बीघा, व ख. न. 2 रकबा 19 बीघा भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण, बैचान, दानपत्र, हकतर्क, रहन आदि नही करे तथा ना ही किसी अन्य करावे व राजस्व रेकर्ड यथास्थिति बनाये रखे।

27/6/2022

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला–नागौर

निर्णय आज दिनांक 27/6/2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/6/2022

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला–नागौर